



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 26 अक्टूबर, 2020
कार्तिक 4, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1247/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(152)-2020
लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-283

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या 428/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(106)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में,-

- (i) शब्द "किसी वित्तीय वर्ष" के स्थान पर शब्द और अंक "2017-18 से किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" रख दिये जायेंगे;
- (ii) शब्द "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों" के पश्चात् शब्द "या निर्यात की" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1247/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(152)-2020, dated October 26, 2020:

No. 1247/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(152)-2020

Dated Lucknow, October 26, 2020

IN exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. 428/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(106)-2020, dated April 30, 2020.

In the said notification, in the first paragraph,--

(i) *for* the words "a financial year", the words and figures "any preceding financial year from 2017-18 onwards" shall be *substituted*;

(ii) *after* the words "goods or services or both to a registered person", the words "or for exports" shall be *inserted*.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.